महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः सामान्य/7/2022/16422-525 दिनांकः 01-6-2022

परिपत्र

ऐसा संज्ञान में आया है कि कारागृहों से पेशी पर भेजे जाने वाले बंदियो के लिए कारागृह से बस स्टेण्ड, बस स्टेण्ड से न्यायालय हेतु पर्याप्त ऑटो/टैक्सी किराया नहीं दिया जाता है, जिससे कभी-कभी पुलिस गार्ड के कार्मिकों एवं जेल कार्मिकों में आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

राजस्थान कारागार नियम, 1951 के पार्ट-27 के नियम 9 की टिप्पणी 1 में ***वास्तविक किराया देय*** होगा का उल्लेख है।

अतः भविष्य में बंदी को पेशी पर भेजे जाते समय कारागृह से बस स्टेण्ड एवं बस स्टेण्ड से न्यायालय के लिए बंदी का ऑटो/टैक्सी का ***वास्तविक किराया चालानी गार्ड इंचार्ज को दिया जावे***। चालानी गार्ड इंचार्ज पेशी भुगताने के बाद ऑटो/टैक्सी का भुगतान किया कि रसीद प्रस्तुत करेगा, जिसका भुगतान विविध व्यय मद से आहरित किया जायेगा।

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार,
राजस्थान

प्रतिलिपिः-

1. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. समस्त प्रभारी, कारागृह/सुधारगृह/उप कारागृह राजस्थान।
4. अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
7. निजी सचिव/निजी सहायक, महानिदेशक/अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, महानिरीक्षक पुलिस/कारागार, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।

1/6/22

महानिरीक्षक कारागार,
राजस्थान